छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति गठित

चर्चा में क्यों?

20 जनवरी, 2022 को राज्य शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष होगा।

प्रमुख बिंदु

- जारी अधिसूचना के अनुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर को छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।
- इसी प्रकार मुस्लिम धर्म ज्ञान एवं मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के रूप में रायपुर के मौलाना कारी सैयद अशफाक अहमद, मौलाना डॉ. कारी इमरान अशरफी, मौलाना असगर मेहंदी को राज्य हज समिति का सदस्य बनाया गया है।
- मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले इम्तियाज अहमद (सूरजपुर), डॉ. रूबिना अल्वी (राजनांदगांव), शमीम अख्तर (रायपुर) को सदस्य नियुक्त किया गया है।
- इसके साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य हज कमेटी कार्यपालन अधिकारी-सचिव को पदेन सदस्य मनोनीत किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-state-haj-committee-constituted